

(2)   
 नमूल निवासी  
 नमूल निवासी  
 नमूल निवासी  
 नमूल निवासी  
 नमूल निवासी  
 नमूल निवासी  
 नमूल निवासी

तफसील :- जिला पाकुड़ थाना पाकुड़ महकूमा व निबंधन कार्यालय पाकुड़ परगने के अधीन 168 मौजा बल्लभपुर नगर पलिका क्षेत्र अधीन स्थित है। वार्ड नं 19

खेसरा	चौहदादी	श्रेणी	रकवा
523 (पाँच सौ तैयीस)	उ ० रास्ता द० ३ फिट रास्ता प०० दाग न० ५२३ प० दाग न० ५२३	धानी दोयम ०१-१३-०० कट्टा मे से	(५ डिसमिल) ००-०३-०० कट्टा (तीन कट्टा) सिर्फ चौहदादी स्थित
मवाजी ००-०३-०० कट्टा ( ५ डिसमिल)			

संगलन नक्शा में बिक्रीत सम्पत्ति चिन्ह का घोतक है।

बिदित हो कि उक्त मवाजी ००-०३-०० (५ डिसमिल) सम्पत्ति जो कि हमलोगों ने पाकुड़ अवर निबंधन कार्यालय में इसी 2012 साल को 1359 न० निबंधित बिक्रेय केवाला द्वारा कर्य कर तथा अंचल कार्यालय पाकुड़ पंजी ॥ में अपना नाम दर्ज कराकर सलाना लगान देते हुए उक्त सम्पत्ति निर्विवाद में दखल भोग करते चला आ रहा है। उक्त सम्पत्ति में मेरा अलावे अन्य किसी का स्वत्व सम्पर्क नहीं है। केवल हम ही उक्त सम्पत्ति का स्वयं अधिकारी है। अभी कई एक विविध कार्यों सम्पादन के लिये रुपये का परमावश्यक अविलम्ब प्रयोजन होने पर उक्त सम्पत्ति बेचने का प्रस्ताव किया और आप खरीदना स्वीकार किये उक्त सम्पत्ति का समयोचित उपरोक्त ००-०३-०० सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य :- 180,000/- एक लाख आसी हजार रुपये मात्र आज हमने आपसे सम्पुर्ण रुपये प्राप्त किया तथा उक्त सम्पत्ति आपको बेचा और आज ही आपके दखल कब्जा में देकर एककालीन आल-ौलद स्थानापन्न सहित हमेशा के लिये सारा स्वत्वत्यागी हुए। हम यह बिक्रेय केवाला द्वारा इकरार, वादा व घोषणा करता है कि उक्त बिक्रीत सम्पत्ति में हमलोगों का जो कुछ स्वत्व, सम्पर्क, दखल, भोग, हक अधिकार आदी था तथा बर्तमान में जो कुछ स्वत्वधीकार था। वह सब कुछ आज तिथि से हमलोगों से सम्पुर्ण रूप में रद्द व रहित हो कर आज तिथि से आपका हुआ। आप के तरह सारा स्वत्व में एक मात्र स्वत्ववती व दखलकरीनी होकर दान-बिक्रय आदि सभी प्रकार हस्तांतर करने का एक मात्र क्षमतापन्न होकर आल-ौलद स्थानापन्न सहित परमसुख में दखलभोग करते रहेंगे, एवं जमीदारी सिरिस्ता में प्रवलित नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्जपुर्वक निर्धारित सलाना लगान अदाय देकर प्रमाण्य सरकारी रसीद आदी ग्रहण करते रहेंगे। भविष्य में उक्त बिक्रीत सम्पत्ति पर यदि मैं या मेरा कोई भागी वारीसान या स्थानापन्न कोई कभी किसी भी प्रकार का दावी - दावा करूँ या करे, वह सभी जगह तथा न्यायालय में नामंजुर व नाजायज होगा।



26/11/2020